न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 26/18

1. सुखपाल कौर पत्नि श्री टेकसिंह
2. गुरमीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह
3. गुरजीत सिह पुत्र श्री टेक सिंह

जाति जटसिख निवासीगण चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. बीकर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासीगण चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1. मनजीत कौर पत्नि श्री जसकरण सिंह
5. बलविन्द्र सिह पुत्र श्री जसकरण सिह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह

जाति जटसिख निवासीगण चक 4 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

3. बलकरण सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी अमरसिंहवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. रणजीत सिंह
5. हरदीप सिंह
6. सिमरजीत कौर
7. गुरविन्द्र कौर
8. सुखविन्द्र कौर

पुत्र–पुत्रीयां निछतर सिंह जाति जटसिख साकिन 40 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

9. स्टेट ऑफ जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 10.03.2021**

इस वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वर्ष 1997 में पांच भाइयों –टेक सिंह, बलकरण सिंह ,बिकर सिंह, जसकरण सिंह और निछतर सिंह पिसरान बलवंत सिंह के मध्य एक पारिवारिक समझौता लिखा गया था। जिसके तहत चक 6 पीएचएम (बी) के मुरब्बा नंबर 140/59 की भूमि बिकर सिंह और टेक सिंह के हिस्से आई थी और पीलीबंगा तहसील के चक 25 जेआरके के पत्थर नंबर 19/251 की 13 बीघा भूमि बलकरण सिंह के नाम दर्ज करवाया जाना तय हुआ था।

इस समझौते के आधार पर 2004 में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा विभाजन डिक्री पारित की गई जिसके तहत चक 6 पीएचएम (बी) की उक्त भूमि बिकर सिंह और टेक सिंह के नाम दर्ज हो गई। इस फैसले को बल करण सिंह द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय अदालत ने 2018 में उपखंड अधिकारी के 2004 के फैसले को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमांड किया कि 1997 के समझौते के सिलसिले में सभी पक्षों को सुनते हुए दोबारा फैसला किया जाए।

अदालत द्वारा परिवारिक समझौते 1997, उपखंड अधिकारी निर्णय 2004 और राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय 2018 अपील संख्या 63/16 का अध्ययन किया गया। यह प्रकरण इस आधार पर रिमांड किया गया था कि 2004 के फैसले में 1997 के समझौते की पूरी तरह से पालना नहीं की गई थी। अदालत द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो इससे यह बात साबित भी होती है क्योंकि 25 जेआरके की भूमि में से 5 बीघा भूमि आज भी टेक सिंह के वारिसान के नाम दर्ज है। 5 बीघा भूमि जसकरण सिंह के वारिसान के नाम दर्ज थी जो उनके द्वारा कुछ साल पहले बेचान कर दी गई। इससे यह स्पष्ट है के 1997 के समझौते की पालना नहीं हुई क्योंकि उसमें लिखा गया था कि 25 जेआरके की भूमि बलकरण सिंह के नाम दर्ज करवाई जाएगी।

अदालत के सामने मुख्य प्रश्न यह है क्या आज की तारीख में इस समझौते की पूरी तरह से पालना करवाई जा सकती है। 6 पीएचएम (बी) की जमीन के सिलसिले में तो पालना करवाई जा सकती है लेकिन 25 जेआरके की भूमि के संबंध में पालना करवाया जाना संभव नहीं है, इसकी वजह ऊपर वर्णित है।

इस संबंध में समस्त पक्षकारों का पक्ष जाना गया। मूल पक्षकारों में से तीन पक्षकार टेक सिंह, निछत्तर सिंह और जसकरण सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान उपस्थित हुए। टेक सिंह के वारिसान गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह और पत्नी सुखपाल कौर उपस्थित हुए। जसकरण सिंह के वारिसान बलविन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह और पत्नी मनजीत कौर उपस्थित हुए। निछत्तर सिंह के वारिसान रणजीत सिंह, हरदीप सिंह, सिमरजीत कौर, गुरविंदर कौर और सुखविंदर कौर उपस्थित हुए। दो मूल पक्ष कार बिकर सिंह और बलकरण सिंह खुद उपस्थित हुए।

4 मार्च 2021 को सुनवाई के दौरान इन सभी पक्षकारों से इस मसले पर जिरह की गई। अंत में इन सभी पक्षकारों ने 10 मार्च 2021 को आपसी रजामंदी से फैसला किया कि क्योंकि आज की तारीख में 1997 में पारिवारिक समझौते की पालना करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए वह इस समझौते को निरस्त करते हैं और अपने विवादों को सुलझाने के लिए 6 पीएचएम (बी) के मु.न. 140/59 की कृषि भूमि, जो कि आज की तारीख में पांच भाइयों –टेक सिंह, जसकरण सिंह, बिकर सिंह, बलकरण सिंह और निछत्तर सिंह के नाम दर्ज है ,कि निम्न तरीके से अदला–बदली करना चाहते हैं ताकि उनकी वर्तमान कब्जा काश्त और निर्माण सुरक्षित रह सके।

क.स.	खातेदार का नाम	वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज भूमि (कि.न.)	समझौते के तहत चाहे गये कि.न.
1	निछतर सिंह	6/0.18, 7, 8, 9, 10	1, 10, 11, 20, 21
2	बलकरण सिंह	16, 17, 18, 19, 20/0.18	4, 7, 14, 17, 24
3	टेक सिंह	1, 2, 3, 4, 5/0.18	2, 9, 12, 19, 23
4	जसकरण सिंह	21 ता 25	3, 8, 13, 18, 22
5	बीकर सिंह	11 ता 15, 05/0.02, 06/0.02, 20/0.02	5, 6, 15, 16, 25

अदालत द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई रजामंदी पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि उक्त अदला–बदली कानूनी तौर पर जायज है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस राजीनामे को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देश दिया जाता है कि उक्त टेबल के मुताबिक जमाबंदी में अमल बरामद करें। इस समझौते के आधार पर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

क्योंकि इस प्रकरण का फैसला हो चुका है इसलिए अपील संख्या 06/2021 को भी इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है क्योंकि उस अपील में भी विवाद का मुख्य बिंदु वही है जो कि इस वाद में था। अपील संख्या 06/ 2021 में 25 जनवरी 2021 को मुरब्बा नंबर 140/59 के संबंध में जारी किए गए स्थगन आदेश को भी निरस्त किया जाता है .

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)